

फद अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

दुर्गालाल पिता गोपी रेगर नि. पीपलुन्द

बनाम

गान्दू पिता हरजी रेगर नि. पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 42/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
62.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1833, 2550/11, 2566, 2566/1, 2576/1 कुल किता 05 रकबा 1.8291 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। जो आये दिन अपनी भूमि की सही जानकारी नहीं रखने के कारण मौके पर अनावश्यक विवाद करते हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य अपनी सीमाओं को लेकर अनावश्यक विवाद के कारण प्रार्थी अपनी भूमि पर पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द पटवार हल्का पीपलुन्द तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1833, 2550/11, 2566, 2566/1, 2576/1 कुल किता 05 रकबा 1.8291 हैक्टर की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000- रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 62.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)